संख्या : / XXVI/ /2004

प्रेषक,

डा0 आर0एस0 टोलिया,
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

प्रेष्य,

1–अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।
2–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।
3–समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

नियोजन अनुभाग देहरादून : दिनांक: नवम्बर 20, 2004

विषयः– आंकड़ों की गुणवत्ता एवं उनकी सामयिक उपयोगिता को सुदृढ़ करने हेतु सुधारात्मक पहल।

महोदय,

सांख्यिकीय पद्धतियों को सुदृढ़ करने तथा आंकड़ों की सामयिक उपयोगिता के सम्बन्ध में मुझें यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के समस्त विभागों में सांख्यिकीय प्रकोष्ठों का यथा शीघ्र गठन कर लिया जाय। जिन विभागों में सांख्यिकी संवर्ग से सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं, उनके विभागाध्यक्ष विभाग के ही अधिकारी/ कर्मचारियों को प्रकोष्ठ में सम्बद्ध कर लें। आंकड़ों की गुणवत्ता को ऊचा बनाये रखने के उद्देश्य से प्रकोष्ठ का प्रभारी समूह– "क" के अधिकारी से कम का न हो।

विकास खण्ड स्तर से जिला स्तर, मण्डल स्तर, राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़ों में एक रूपता रखने तथा प्रभावी सूचना प्रबन्धन तंत्र (MIS) तैयार करने हेतु निम्न सुधारात्मक कार्य संचालित किये जाय।

(i) सांख्यिकीय समन्वयन तथा विभागीय सूचना प्रबन्ध तंत्र (MIS) के Standard Setting हेतु अर्थ एवं संख्या निदेशालय को राज्य की नोडल एजेन्सी के रूप में घोषित किया जाता है। समस्त विभागों द्वारा जारी किये जाने वाले आंकड़े एवं प्रतिवेदन प्रारूप अर्थ एवं संख्या विभाग के अनुमोदन के पश्चात् ही जारी किये जायेगें तथा सभी विभागों द्वारा उनके द्वारा किये जा रहे सांख्यिकी कियाकलाप यथा सर्वेक्षण, मूल्यांकन, अध्ययन आदि की जानकारी अर्थ एवं संख्या निदेशालय के संज्ञान में लाना सुनिश्चित की जायेगी।

(ii) सभी विभागों में सांख्यिकी प्रपत्रों, जिनमें सूचना एकत्र की जाती है, से अनावश्यक तथा अनुपयोगी सूचना को हटाते हुये एवं MIS के अनुसार नये स्तम्भ जोड़ते हुये प्रपत्रों में एक रूपता लाने के उद्देश्य से आवश्यक संशोधन कर लिये जाय। इस कार्य हेतु अर्थ एवं संख्या निदेशालय तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के अधिकारियों की संयुक्त टास्क फोर्स गठित कर ली जाय, जो विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर विभागीय MIS हेतु प्रारूपों का निर्धारण करेंगें।

(iii) राज्य में ई–गर्वनेन्स को व्यापक रूप से लागू करने हेतु समस्त विभाग अविलम्ब सूचनाओं का प्रेषण/संचरण अपने कार्यालयों में स्थापित Internet Connectivity अथवा सूचना विज्ञान केन्द्रों (NIC) के माध्यम से अपने विभागाध्यक्षों/ शासन को ई–मोड़ में करेंगें। कतिपय

2721

महत्वपूर्ण स्थिति को छोड़ते हुये पत्रवाहकों तथा अन्य प्रकार से MIS का प्रेषण करने वाले विभागों के समय तथा धन के दुरुपयोग किये जाने की संज्ञा दी जावेगी।

(iv) विभागों द्वारा संचारित आंकड़ों की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु अर्थ एवं संख्या निदेशालय में एक पृथक प्रकोष्ठ गठित कर लिया जाय, जिसके अधिकारी प्रतिदर्श (Sample) आधार पर स्थलीय सत्यापन करके आंकड़ों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों के सचिव, तथा सचिव, नियोजन को सूचित करेगें।

(v) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) वर्ष 2005 के अन्त तक समस्त विभागों के MIS को State Website पर लाना सुनिश्चित करें। इस सन्दर्भ में वे समस्त विभाग, जो अभी तक State Web पर नहीं है अपने विभागीय e-governance को प्रबल बनाने के लिए अविलम्ब NIC से सम्पर्क कर अपना MIS,Web पर उपलब्ध करायें। NIC इस सम्बन्ध में कार्य योजना तथा समय विवरण तैयार कर अद्योहस्ताक्षरी तथा सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी के संज्ञान में लाये।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु आपरेशन लक्ष्य प्रारम्भ होने से पूर्व उन सभी विभागों के कर्मियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करे, जिनमें अभी तक किसी भी कर्मी को प्रशिक्षण न दिया हो।

(vi) आंकड़ों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक विभाग जनपदवार अपनी एक टास्क फोर्स गठित करेगा। इस टास्क फोर्स में जिले स्तर से ऊपर के अधिकारी, जो कम से कम उप निदेशक (श्रेणी–1) स्तर के होगें, विकास खण्ड तथा जनपद स्तर से प्राप्त आंकड़ों का स्थलीय सत्यापन करेगें।

सभी वरिष्ठ अधिकारियों का वार्षिक मूल्यांकन उनके द्वारा किये गये आंकड़ों के सत्यापनों की संख्या तथा गुणवत्ता के आधार, के अनुसार किया जायेगा। सम्बन्धित अधिकारी अपनी विस्तृत निरीक्षण आख्या निरीक्षण के सप्ताह के अन्तर्गत विवेचनात्मक विश्लेषण कर अनिवार्य रूप से विभागाध्यक्ष तथा विभागीय सचिव को उपलब्ध करायेंगें।

अधिकारियों द्वारा अपने वार्षिक स्व–मूल्यांकन प्रतिवेदन में अपने सभी निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रति संलग्न की जायेगी तथा समीक्षक एवं स्वीकृता अधिकारी भी निरीक्षण प्रतिवेदनों के आधार पर अपना मंतव्य व्यक्त करेंगें।

जिन अधिकारियों द्वारा आंकड़ों के सत्यापन सम्बन्धी निरीक्षण एवं स्थलीय सत्यापनों का विवरण स्व–मूल्यांकन में अंकित नहीं होगा, वे प्रविष्ठियां पूर्ण नहीं मानी जावेगी।

कार्मिक विभाग इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश जारी करना सुनिश्चित करें।

(vii) विभागों द्वारा संचरित MPR में फर्जी तथा एडवान्स रिपोर्टिंग होने पर उसे निर्दयता से कुचला जाय। ऐसी रिपोर्टिंग करने पर उस रिपोर्ट संचरण/प्रेषण से सम्बन्धित सभी कर्मचारी तथा अधिकारी उसके भागीदार होगें तथा वे सभी दोषी माने जायेंगें। इस तरह की रिपोर्टिंग को आपराधिक कृत्य घोषित किया जाता है।

(viii) प्रत्येक मासिक सूचना प्रतिवेदन/ MIS, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित हो, जिसमें उनका नाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो। कृते हस्ताक्षर वाले MPR मान्य नहीं होगें। आंकड़ों के समय से संचरण, प्रेषण तथा उनकी गुणवत्ता हेतु विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होगें।

(ix) योजनाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विभाग एक अधिकारी को पदेन (Ex.Officio) मूल्यांकन अधिकारी नामित करेगें। यह अधिकारी प्रत्येक माह जारी योजनाओं/कार्यक्रमों की प्रगति का रेण्डम आधार पर मूल्यांकन कर विभागाध्यक्ष तथा विभागीय सचिव को अवगत करायेंगें, जिसकी एक प्रति अर्थ एवं संख्या निदेशालय तथा सम्बन्धित जनपदों के अर्थ एवं संख्याधिकारी को उपलब्ध करायी जावेगी। इस अधिकारी का नाम, पता तथा दूरभाष संख्या अर्थ एवं संख्या निदेशलय को उपलब्ध करा दिये जाय। नोडल एजेन्सी के रूप में जनपद स्तर पर जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी भी पदेन मूल्यांकन अधिकारी के रूप में कार्य करेगें, जो विभिन्न योजनाओं का सत्यापन/ मूल्यांकन कर अपने निरीक्षण प्रतिवेदन जिलाधिकारी, निदेशक, अर्थ एवं संख्या तथा सचिव, नियोजन को उपलब्ध करायेंगें। अर्थ एवं संख्या निदेशालय भी अपने स्रोतों से मूल्यांकन प्रतिवेदनों पर टिप्पणी करेगा तथा प्रत्येक वर्ष "**उत्तरांचल में मूल्यांकन कार्य हेतु मूल्यांकन पद्धतियां**" नामक पुस्तिका का प्रकाशन करेगा।

(x) प्रत्येक विभाग द्वारा अपने मूलभूत आंकड़ों की पुष्टि हेतु हर वर्ष एक सर्वेक्षण कराया जाय, जिससे विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों/योजनाओं की स्थिति की समीक्षा भी हो सके। इस सर्वेक्षण में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी तकनीकी सहायता उपलब्ध करायेगें। इसके अतिरिक्त विभागीय सचिव तथा विभागाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक वर्ष एक–दो दिवसीय विभागीय कार्यशाला भी माह नवम्बर–दिसम्बर में विभागीय मंत्री जी की अध्यक्षता में करायी जाय, जो मुख्य रूप से सम्बन्धित वर्ष में प्रत्येक अधिकारी द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा, योजनाओं का सत्यापन, मूल्यांकन की स्थिति, बजट की स्थिति, फर्जी तथा एडवान्स रिपोर्टिंग करने वाले कर्मचारियो/ अधिकारियों पर की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही की समीक्षा तथा भावी रणनीतियों पर समेकित हों। इन कार्यशालाओं में अर्थ एवं संख्या विभाग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र तथा वित्त विभाग के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाय।

उपरोक्त सभी आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा सम्बन्धित विभाग यथा आवश्यक विभागीय शासनादेश भी जारी करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(डा0 आर0एस0 टोलिया)
मुख्य सचिव।

संख्या : 570 / XXVI/ 69 /2004 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायू।
(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
(3) निदेशक, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तरांचल।
(4) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य एकक, उत्तरांचल, देहरादून।
(5) समस्त राष्ट्रीय सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तरांचल।

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव,
नियोजन।